

# आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मैनुअल – पन्द्रह

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(ख)(xv),

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शी बनाने हेतु एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराईजेशन के अन्तर्गत हर स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विभाग पी0डी0एस0 पोर्टल (<http://fcs.uk.gov.in>) स्थापित किया जा चुका है। जिस पर विभाग से सम्बन्धित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हैं।
- शासनादेशानुसार जनपद स्तर पर अपनायी गयी प्रक्रिया के द्वारा श्रेणीवार पात्र परिवारों की सूची विभागीय वेब पोर्टल (<http://fcs.uk.gov.in>) पर उपलब्ध है।
- राज्य में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ-खरीद सत्र 2019–20 में धान का क्य ई–खरीद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खरीद पोर्टल (National Procurement Portal) पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
- उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु राज्य के खाद्यायुक्त मुख्यालय पर उपभोक्ता हेल्पाईन की स्थापना की गई है। स्टेट कन्ज्यूमर हैल्पलाईन का टोल फ़्री न0 1800–180–4188 है।
- एन0एफ0एस0ए0 2013 की धारा 14 के अनुपालन में राज्य में शिकायत निवारण प्राविधान हेतु राज्य में (1967) टोल फ़्री नम्बर स्थापित किया गया है तथा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है।
- शिकायतकर्ता द्वारा (1967) टोल फ़्री नम्बर पर शिकायत आती है, उसके उपरान्त रजिस्टर में शिकायतों को दर्ज किया जाता है तथा शिकायत की जाँच/समाधान हेतु सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी/जनपद को प्रेषित किया जाता है तत्पश्चात् अनुपालन आख्या प्राप्त करते हुये शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाता है तथा समय–समय पर समीक्षा की जाती है।